

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
विकास बनाम इन्द्राज बारूपाल आदि
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी प्रकरण संख्या 70 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/388

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2.08.2025	<p>वादी विकास पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p>	<p>नोटिस जारी पत्र 12/08/25</p>
15/9/25	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची स. 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल गिस्तल रहे। अप्राची संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द सिंह ने वकालतनामा पेश किया। सामिल गिस्तल रहे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26/9/25 को पेश हो।</p>	<p>50</p>
21/09/25	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची स. 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल गिस्तल रहे। पत्रावली वास्ते क्लस दिनांक 29/09/25 को पेश हो।</p>	<p>कु सुस्त मुकदमा के आगे नही चलाने पाइए 11/10</p>
21/09/25	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के कारा प्रार्थना पत्र आवेश 29.9.25 पर नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवकाश किया गया। लिहाजा प्राची अधिवक्ता कारा प्रार्थना पत्र नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि होकर गभर से कप हाकर वापस इस</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p>

